न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2027/I/2015 –विरूद्ध आदेश दिनांक 01.06.2015 – पारित व्दारा नायव तहसीलदार, कैलारस जिला मुरैना – प्रकरण कमांक स्थगन/2015

1– महेन्द्र पुत्र रघुवर यादव
2– रामलखन पुत्र रघुवर यादव
निवासीगण ग्राम इटौरा तहसील कैलारस
जिला मुरैना मध्य प्रदेश ------आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0शासन ----अनावेदक

(आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस0पी0धाकड़)
(अनावेदक की ओर से पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक 31- 8 - 2015 को पारित)

यह निगरानी नायव तहसीलदार कैलारस जिला मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक स्थगन/2015 में पारित आदेश दिनांक 01.06.2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि सरपंच ग्राम पंचायत इटौरा ने नायव तहसीलदार केलारस को इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि आवेदकगण ने ग्राम इटोरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 716 शासकीय पर अतिकमण करके निर्माण कार्य किया जा रहा है जिसे रोका जावे। नायव तहसीलदार कैलारस ने राजस्व निरीक्षक से जांच

कराई एंव आदेश दिनांक 01.06.2015 पारित किया तथा आवेदकगण को मौके पर यथास्थिति बनाये रखने एंव किसी प्रकार का निर्माण कार्य न करने के आदेश दिये। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाए गए बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि मौके पर राजस्व निरीक्षक अथवा पटवारी ने कोई जांच नहीं की और ऐसी जांच के आधार पर आदेश पारित करना अनियमितता है। उन्होंने बताया कि यदि आवेदक के विरूद्व ग्राम की आबादी भूमि पर निर्माण कार्य की शिकायत है तो वह ग्राम पंचायत के क्षेत्राधीन है तथा ऐसी भूमि पर ग्राम पंचायत कार्यवाही कर सकती हैं। राजस्व निरीक्षक ने यदि कोई रिपोर्ट नायव तहसीलदार को दी है तब भी आवेदक को कारण बताओ नोटिस देकर सुनवाई करना चाहिए थी जो नहीं की गई। आवेदकगण को बचाव का अथवा पक्ष समर्थन का कोई मौका नहीं दिया, अपितु सीधे एकपक्षीय कार्यवाही करके आदेश पारित करना न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने निगरानी स्वीकार करने की प्रार्थना की। अनावेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि ग्राम इटोरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 716 राजीव गांधी सेवा केन्द्र के लिये सुरक्षित है जिस पर निर्माण कार्य कर अतिक्रमण किया गया है, जिसके लिये नायव तहसीलदार ने आवेदकगण पर निर्माण न करने की रोक लगाई है इसलिये निगरानी बेआधार होने से निरस्त की जावे।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 2/2014-15 अ 68 के अवलोकन पर पाया गया कि सरपंच ग्राम पंचायत इटोरा के आवेदन दिनांक 26.5.15 के प्रस्तुत होने पर प्रथम आडरशीट दि. 26.5.15 को लिखी जाकर राजस्व निरीक्षक से स्थल जांच प्रतिवेदन प्राप्त करने के आदेश हुये हैं एंव आगामी पेशी 01.06.15 नियत की गई। दिनांक 29.5.15 को मौके पर पहुंचकर राजस्व निरीक्षक ने स्थल जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है जांच रिपोर्ट पर जावक की तारीख अंकित नहीं है । इसी रिपोर्ट पर से क्रमांक स्थगन/2015 आदेश दिनांक 01.06.2015 पारित किया गया है जिस पर दायरे का क्रमांक भी अंकित नहीं है । स्पष्ट है कि आवेदकगण के विरूद्ध आदेश पारित करने के दिन तक प्रकरण दायर नहीं हुआ है - अर्थात आवेदकगण के विरूद्ध संपूर्ण कार्यवाही नियम एंव प्रकिया अपनाये बिना की गई है जिसके कारण नायव तहसीलदार व्दारा पारित आदेश दिनांक 01.06.2015 विधिवत् होना नहीं माना जा सकता।

6/ नायव तहसीलदार कैलारस के प्रकरण क्रमांक 2/2014-15 अ-68 में पृष्ठ-4 पर राजस्व निरीक्षक वृत्त-1 का प्रतिवेदन प्राप्ति दिनांक 1.6.15 संलग्न है। इसी प्रकरण के पृष्ठ - 6 पर दूसरा प्रतिवेदन दिनांक 2.6.15 संलग्न है। प्रथम जांच प्रतिवेदन में अंकित है कि -

**** 29.5.15 को श्रीमान तहसीलदार महो. स्वयं मौके पर पहुंचे तथा अतिकमण करने वाले महेन्द्र पुत्र रघुवर यादव व रामलखन पुत्र रघुवर यादव को मौखिक रूप से अतिकमण करने से रोका। ****

राजस्व निरीक्षक वृत्त-1 का दूसरा जांच प्रतिवेदन दिनांक 2.6.15 है जिसमें अंकित है कि -

**** श्रीमान के शासकीय सर्वे नंबर 716 खलयान पर अवैध निर्माण रोकने वावत स्थगन आदेश जारी था स्थगन के बाबजूद शिकायत मिली थी कि स्थगन के वाद निर्माण कार्य किया जा रहा है तो मौका पटवारी को लेकर ग्राम इटौरा पहुंचे तथा उप0 व्यक्तियों के समक्ष मौका निरीक्षण किया जिसमें पाया गया शिकायत झूँठी है । स्थगन के वाद महेन्द्र रामलखन पुत्रगण रघुवर यादव व्दारा उक्त निर्माण कार्य नहीं किया गया। ****

राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि मौके पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया गया है अर्थात मौके पर अतिक्रमण नहीं है तथा शिकायत झूँठी है, तब नायव तहसीलदार व्दारा आवेदकगण के विरूद्व प्रकरण पंजीबद्व किये बिना एकपक्षीय आधार पर सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश कमांक स्थगन/2015 दिनांक 01.06.2015 जारी करना नैसर्गिक न्याय की परिधि में नहीं है, जिसके कारण नायव तहसीलदार कैलारस जिला मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक स्थगन/2015 में पारित आदेश दि. 01.06.2015 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायव तहसीलदार कैलारस जिला मुरैना व्दारा प्र.क्र. 2/अ-68/14-15 में जारी कमांक स्थगन /2015 आदेश दि. 01.06.15 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर

3-7-15

न्यायालय :– माननीय राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर

प्रक0 /2015 निगरानी

निगरानी 2027-I-15

1. महेन्द्र सिंह पुत्र रघुवर यादव
2. रामलखन पुत्र रघुवर यादव

निवासीगण ग्राम इटौरा तह. कैलारस जिला मुरैना म.प्र.

---- आवेदकगण

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा नायब तहसीलदार कैलारस जिला मुरैना म.प्र.

---- अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय नायब तहसीलदार तह. कैलारस जिला मुरैना के प्र. क. /2015 में पारित आदेश दिनांक 01.06.2015 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार पेश है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः–

1. यह कि, विवादित भूमि ग्राम ग्राम इटौरा तहसील कैलारस जिला मुरैना म.प्र. के सर्वे कं. 716 पर अवैध निर्माण किया जाना बताया है। उक्त भूमि के संबधं में ग्राम पटवारी व राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 05.05.2015 को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निर्माण कार्य व अतिकमण रोके जाने की जांच करने संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रतिवेदन के आधार पर नायब तहसीलदार कैलारस द्वारा आवेदकगण को यह आदेश दिनांक 01.06.2015 को पारित किया गया कि, किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य ना करें। उक्त आदेश से दुखित होकर निगरानी निम्न लिखित आधारों पर प्रस्तुत है :–

प्रकरण के आधार :–

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिविधान एवं क्षेत्राधिकार बाह्य तथा प्रकरण पत्रावली के विपरीत पारित होने से उक्त आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकार रहित आदेश है क्यों कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदकगण को कारण बताओ नोटिस जारी किये बिना एवं उक्त नोटिस का जवाब प्राप्त किये बिना साक्ष्य व सुनवाई तथा पक्ष समर्थन का विधिवत अवसर प्रदान किये बिना संहिता में बनाये गये प्रावधानों के तहत कार्यवाही नहीं की गई फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदकगण के विरूद्ध उक्त प्रकरण में अधिकार क्षेत्र के बाहर होते हुए पटवारी व राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 05.05.2015 के आधार पर नायब तहसील न्यायालय द्वारा बिना किसी अधिकार के कार्यवाही की है। जबकि ग्राम पंचायत इटौरा के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा आवेदकगण के